उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद।

पत्रांक: 797–E/NCR/Policy/Leave
दिनांक. /12/2016

RBE No. 157/2016
NCR PS No.5003/2016

Accounts

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि. उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक/सा. मु.प्रशा. अधि/नि मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शॉप झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/झांसी, उप मु. अभि/सीपीओएच/इला., उप मु. अभि./सीएसपी इला.
प्रिन्सिपल – सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद, एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेंनिग सेन्टर, झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झांसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, मु.प्रा. अधि./आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाइन/इला./झांसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज लाईन/झांसी।
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Sub: - Special Casual Leave (SCL) to delegates for attending Annual General Meeting of Cooperative Credit Societies/Banks.

The copy of Railway Board's letter No. E(G)2012 LE 1-20 dt. 19.12.2016 is sent herewith for your information, guidance and necessary action.

Policy letters circulated under NCRPS Nos. may also be downloaded from website www.ncr.indianrailways.gov.in
(About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

DA: As above.

V 30.XII.16

(V.P. Singh)
Sr. Personnel Officer/HQ
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/एससी–एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए
8. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसिएशन
9. महामंत्री ओबीसी एशोसिएशन

महाप्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
21 DEC 2016
महाप्रबन्धक सचिव

**RBE No. 157/2016**

**GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार**
**MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय**
**RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड**

RBL-2016-2651

**No.E(G)2012 LE 1-20** **New Delhi, dated** 19-12-2016

NCR

The General Manager(s)
All Zonal Railways and
Production Units etc.
(As per standard list)

**Sub: Special Casual Leave (SCL) to delegates for attending Annual General Meeting of Cooperative Credit Societies/Banks.**

The matter regarding grant of Special Casual Leave to the delegates for attending Annual General Meeting of Cooperative Credit Societies/Banks has been reviewed in consultation with the DOP&T in the light of the position obtaining on the Civil Side and also keeping in view the fact that the Railway employees Cooperative Credit Socities/Banks are now registered under the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 and is under the overall supervision of the Central Registrar of Cooperative Societies, Krishi Bhavan.

2. Therefore, in supersession of Board's letter No. E(G)70/LE 1-2 dated 3/9/1971, it has been decided to allow SCL upto a maximum of 10 days in a calendar year plus the minimum period required for the journeys to attend such meetings.

3. The number of Railway employees attending such meetings may be regulated in such a manner as not to affect the administrative efficiency. The discretion as to the number of delegates allowed for attending such meetings may be exercised by the CPO, keeping in view the administrative exigencies.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate.

(D. Joseph)
Dy. Dir. Estt. (Genl.)

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.

for FINANCIAL COMMISSIONER/RAILWAYS.

मु०का०अधि०
मु०का०अधि० (प्रशा०)
उप मु०का०अधि० (राज)
उप मु०का०अधि० (मुख्या०)
अध्यक्ष (रे०म०प्रा०)
उप मु०का०अधि०(आई०आर०)
प्र०का० अधि० (राज)
प्र०का० अधि० (मुख्या०)
प्र०का० अधि० (आई०आर०)
स०का० अधि० (भर्ती)
स०का० अधि० (मुख्या०)
मु०का० अधीक्षक/का० अधीक्षक

CPO

Policy

आरबीई सं.157/2016

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. ई(जी)/2012/एलई1-20 नई दिल्ली, दिनांक: 19 .12.2016

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें और
उत्पादन इकाइयां आदि.
(मानक सूची के अनुसार)

**विषय: को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटीज़/बैंकों की वार्षिक आम बैठकों में भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करना।**

को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़/बैंकों की वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के मामले की सिविल साइड में मौजूद स्थिति को ध्यान में रखते हुए और यह भी देखते हुए कि रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़/बैंक अब मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटीज़ एक्ट, 2002 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और वे सेन्ट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटीज़, कृषि भवन के समग्र नियंत्रण में कार्य करते हैं, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से समीक्षा की गई हैं।

2. अत:, बोर्ड के दिनांक 03.09.1971 के पत्र सं. ई(जी)70/एलई 1-2 के पत्र का अधिक्रमण करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 10 दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश तक की और ऐसी बैठकों में भाग लेने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अवधि की अनुमति प्रदान की जाए।

3. ऐसी बैठकों में भाग लेने वाले रेल कर्मचारियों की संख्या को इस प्रकार निर्धारित किया जाए जिससे प्रशासनिक कुशलता प्रभावित न हो। ऐसी बैठकों में भाग लेने के लिए कितने प्रतिनिधियों को अनुमति दी जाएगी, इसका निर्णय प्रशासनिक तात्कालिकताओं को ध्यान में रखते हुए मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

4. इसे वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

डी जोजफ
(डी. जोजफ)
उपनिदेशक, स्था. (सा.)

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

AJ OFFICIAL-SPECIAL CL TO DELEGATES